मध्य प्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 31 –1/2017/दो–ए (3) भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2017

प्रति,

समस्त संभागयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सेना के शहीद सैनिकों के माता–पिता को मासिक पेंशन प्रदान करने बाबत्।

1. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी सेना के शहीद सैनिकों के माता–पिता को रूपये 5000/– प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

2. पेंशन की पात्रता की शर्ते निम्नानुसार होगी :–

(i) शहीद सैनिक के माता–पिता मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी हों।
(ii) माता–पिता शहीद सैनिक पर पूर्णतः आश्रित हों।
(iii) शहीद सैनिक के माता–पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रूपये 10,000/– से कम हों।
(iv) यदि माता–पिता दोनो जीवित हो, तो पेंशन संयुक्त रूप से उनके बैंक खाते में दी जायेगी तथा माता की मृत्यु होने पर पिता के खाते में तथा पिता की मृत्यु होने पर माता के खाते में दी जायेगी।
(v) माता–पिता दोनों की मृत्यु होने पर पेंशन समाप्त कर दी जायेगी तथा अन्य किसी को अंतरित नहीं की जायेगी।

3. शहीद सैनिक के माता–पिता द्वारा पेंशन हेतु आवेदन संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐंगे :–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–2 पर जारी निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी का प्रमाण पत्र।
(ii) शहीद सैनिक के माता–पिता को शहीद सैनिक पर आश्रित होने का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ।
(iii) शहीद सैनिक की धर्मपत्नी द्वारा शहीद सैनिक के माता–पिता का भरणपोषण न करने के सम्बन्ध में शहीद सैनिक के माता–पिता का शपथ पत्र ।
(iv) शहीद सैनिक के माता–पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रूपये 10,000/– से अधिक न होने का तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण–पत्र।
(v) बैटल कैजुअल्टी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(vi) शहीद सैनिक के माता–पिता की संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
(vii) शहीद की माता या पिता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र (पिता/माता को पेंशन भुगतान हेतु)
(viii) हितग्राही माता/पिता के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

निरंतर..........2

4. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर आवेदन की जांच कर संबंधित जिले के कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

5. पेंशन हेतु बजट संचालक, सैनिक कल्याण म0प्र0, भोपाल द्वारा संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को प्रदाय किया जाएगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधित हितग्राही के खाते में प्रतिमाह जमा कराई जाएगी। वर्ष में एक बार माता/पिता के जीवित होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

6. शहीद सैनिक के माता/पिता को भविष्य में रक्षा विभाग से पेंशन स्वीकृत होने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की अनुशंसा पर तत्काल बंद की जाएगी।

7. संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा शहीद सैनिक के माता/पिता को दी जा रही पेंशन प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। पेंशनधारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारीयों के स्तर से प्राप्त समस्याओं/शिकायतों/अपीलों इत्यादि का निराकरण संचालक, सैनिक कल्याण स्तर पर ही अंतिम रूप से किया जाएगा। समीक्षा उपरांत संचालक, सैनिक कल्याण द्वारा गृह विभाग को प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा।

8. उक्त योजना वित्त विभाग क यू0ओ0 कमांक 139/1534/16 दिनांक 03 फरवरी 2017 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से आदेशानुसार

(मधु खरे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग

कमांक एफ 31 –1/2017/दो–ए (3) भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्यसचिव वित्त विभाग।
2. सचिव भारत सरकार केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली।
3. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित हेतु अग्रेषित।
4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. निज सचिव अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालनालय सैनिक कल्याण म0प्र0 – सूचनार्थ एवं समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियो को अग्रेषित करने हेतु।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग

युद्व अथवा सैनिक कार्यवाही /आतंकी हमला/नक्सली हमला/आंतरिक सुरक्षा में शहीद सैनिक/अधिकारी के माता/पिता को मासिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र

1. शहीद सैनिक/अधिकारी के माता/पिता का नाम : ....
2. शहीद सैनिक/अधिकारी का सेना नं0 एवं पद : ....
3. शहीद सैनिक/अधिकारी का नाम : ....
4. यूनिट(जहां सैनिक शहीद हुए) का नाम : ....
5. अभिलेख कार्यालय का पूर्ण पता : ....
6. युद्व/सैनिक कार्यवाही का नाम
   घटना का क्षेत्र तथा दिनांक : ....
7. मृत्यु दिनॉक : ....
8. सक्षम अधिकारी द्वारा द्वारा जारी
   बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र का विवरण : ....
9. शहीद की धर्मपत्नी द्वारा भरण पोषण न करने
   संबंधी शपथ पत्र : ....
10. माता/पिता का आधारकार्ड कमॉक एवं छायाप्रति : ....
11. माता/पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र का विवरण
   (निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर/सक्षम अधिकारी
   द्वारा जारी किया गया) : ....
12. माता पिता का संयुक्त बैंक खाता का विवरण
   एवं प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति : ....

हस्ताक्षर
माता/पिता ....
दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदक/आवेदकों द्वारा दी गई उक्त जानकारी दस्तावेजों के अनुसार सत्य है। पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर एवं अनुशंसा सहित

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर एवं सील

शाखा प्रबधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....एवं श्रीमती ....का इस बैंक में संयुक्त खाता संधारण किया जा रहा है जिसका कमांक ....है। इनका आधार कार्ड न. .... इस शाखा में संधारित खाता न. ....से जोड़ दिया गया है ।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर एवं सील
शाखा प्रबंधक